



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 295]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 295]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/ VAISAKHA 7, 1938

पोत परिवहन मंत्रालय

(पीएचआरडी डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

सा.का.नि. 453(अ).— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 के 38) की धारा 3 की उप-धारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) खंड (ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रत्यायोजन में केंद्र सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के क्रम सं. 1-9 के सामने उल्लिखित व्यक्तियों को 01.04.2016 से 31.03.2018 तक दो वर्ष की अवधि के लिए कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में न्यासी के रूप में नियुक्त करती है :-

1	मुख्य अधिकारी, समुद्री वाणिज्यिक विभाग कंडला	समुद्री वाणिज्यिक विभाग के प्रतिनिधि
2	कमीशनर, सीमा शुल्क, कांडला	सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधि
3	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं उपाध्यक्ष, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड	गुजरात राज्य सरकार के प्रतिनिधि
4	श्री रजत सच्चर सलाहकार (आर्थिक), पोत परिवहन मंत्रालय	पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि
5	प्रभारी नौसेना अधिकारी, गुजरात	रक्षा सेवाओं (नौसेना) के प्रतिनिधि
6	सेना प्रमुख, तटरक्षक, क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तर-पश्चिम), गांधी नगर	तटरक्षक के प्रतिनिधि
7	मुख्य भाड़ा परिवहन प्रबंधक, पश्चिम रेलवे	भारतीय रेलवे के प्रतिनिधि
8	श्री एम. एल. बिलानी, महासचिव, परिवहन एवं डॉक वर्कर्स यूनियन	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि
9	श्री मोहन के असवानी, प्रधान, कांडला पत्तन कर्मचारी संघ	पत्तन पर नियोजित श्रम के प्रतिनिधि

[फा. सं. एलबी-11013/11/2015-एल]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th April, 2016

G.S.R. 453(E).— In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the persons mentioned against number 1-9 in the table below, to be trustees on the Board of Trustees of the Kandla Port Trust for a period of 2 years from 01.04.2016 to 31.03.2018:-

1.	Principal officer, Mercantile Marine Department, Kandla	Representing Mercantile Marine Department
2.	Commissioner of Customs, Kandla	Representing Department of Customs
3.	Chief Executive Officer & Vice-Chairman, Gujarat Maritime Board	Representing the State Government of Gujarat
4.	Shri Rajat Sachar, Advisor (Eco), Ministry of Shipping	Representing Ministry of Shipping
5.	Naval Officer- in- Charge, Gujarat	Representing Defence Services (Navy)
6.	Chief of Staff, Regional Headquarters (N-W), Gandhinagar	Representing Coast Guard
7.	Chief Freight Transportation Manager, WR	Representing Indian Railways
8.	Shri M.L. Bellani, General Secretary representing Transport & Dock Workers' Union	Representing the labour employed at the Port
9.	Shri Mohan K. Aswani, President representing Kandla Port Karmchari Sangh	Representing the labour employed at the Port

[F. No. LB-11013/11/2015-L]

BARUN MITRA, Jt. Secy.